निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

अंचल कार्यालय - दुर्गावती

निरीक्षण की तिथि - 08.05.2004

डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा.प्र.से.
समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

अंचल कार्यालय –दुर्गावती

निरीक्षण की तिथि – 08.05.2004

डा० पी० राजेन्दर भा०प्र०से०
समाहर्त्ता, कैमूर(भभुआ)

डा0 बी0 राजेन्दर,भा.प्र.से. समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी कैमूर(भभुआ) द्वारा दिनांक–08.05.2004 को अंचल कार्यालय दुर्गावती का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी ।

परिचय

अंचल कार्यालय दुर्गावती दिनांक–29.10.81 को प्रखण्ड कार्यालय से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया । इसके पूर्व यह कार्यालय दुर्गावती प्रखण्ड कार्यालय के साथ ही चल रहा था । कार्यालय की जिला मुख्यालय कैमूर(भभुआ) से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है तथा अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है । राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 एवं रेलवे लाइन इस अंचल से होकर गुजरती है । इस अंचल में दुर्गावती एवं कर्मनाशा नामक दो रेलवे स्टेशन एवं धनेच्छा नामक हाल्ट है । रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पैसेन्जर ट्रेनें रूका करती थी लेकिन अभी हाल में एकमात्र दून एक्सप्रेस गाडी भी रूकने लगी है । इस अंचल के उत्तर में उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला एवं रामगढ़ अंचल, दक्षिण में चैनपुर एवं चांद अंचल, पूरब में मोहनियां अंचल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है । आवागमन के दृष्टिकोण से यह स्थान सुविधाजनक है । इस अंचल में तीन नदियां है(1) कर्मनाशा (2) दुर्गावती (3) कोहिरा । [illegible] कि दुर्गावती नाम का कोई गांव नहीं है लेकिन दुर्गावती नदी के नाम पर इस अंचल का नाम दुर्गावती रखा गया है । अंचल कार्यालय दुर्गावती सारंगपुर मौजा में अवस्थित है । कर्मनाशा नदी इस अंचल से होकर गुजरती है । कर्मनाशा बारहमासा नदी है तथा बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करते हुए बहती है । इस नदी को लोग पवित्र नदी नहीं मानते हैं । इस अंचल में [illegible] दुर्गावती नदी भी रामगढ़ क्षेत्रों में जाकर कर्मनाशा में मिल जाती है । दुर्गावती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाडी के रैल फाल से हुई है । यहां की जमीन काफी उपजाउ है और कृषि के दृष्टिकोण से यह जमीन [illegible] है । इस अंचल में कोहिरा डैम से नहरें [illegible] के कारण जी.टी. से उत्तर की जमीन और अधिक उपजाउ है । ऐतिहासिक रूप में यहां पर एक मठ है जिसका नाम कुल्हड़िया मठ है । इस अंचल में उच्च विद्यालय कर्णपुरा के नजदीक एक पोखरा है । इस पोखरा के निकट एक बाबा की समाधि है । आम लोगों में यह मान्यता है कि यदि बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति इस पोखरा में स्नान करके अपना कपड़ा छोड देता है तो उस समाधिस्थ बाबा की कृपा से उसका बुखार ठीक हो जाता है । इस बात की शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अंचल कार्यालय दुर्गावती से 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश की प्रख्यात ऐतिहासिक नगरी वाराणसी अवस्थित है ।

दुर्गावती अंचल से संबंधित अन्य सूचनायें निम्न प्रकार है :–

(क)	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस अंचल की जनसंख्या–	110921
	पुरूषों की संख्या–	57676
	महिलाओं की संख्या–	53245
	कुल साक्षरों की संख्या–	50516
	पुरूष साक्षरों की संख्या–	33469
	महिला साक्षरों की संख्या–	17047

	अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या--	19909
	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या--	736
(ख)	विद्यालय / महाविद्यालयों की संख्या	
	उच्च विद्यालय की संख्या-	05
	मध्य विद्यालय की संख्या-	12
	प्राथमिक विद्यालय की संख्या -	68
(ग)	हल्कों की संख्या-	10
(घ)	पंचायतों की संख्या -	13
(च)	राजस्व ग्रामों की संख्या-	108
(छ)	अंचल का कुल रकबा-	16763-79 हे० यानी 167.[illegible] अर्थात 43454.37 एकड़ है ।
(ज)	कृषि योग्य भूमि का रकबा-	14039 हे०
(झ)	सिंचित भूमि का रकबा-	5300 हे०
(ट)	असिंचित भूमि का रकबा -	9239 हे०
(ठ)	चिरागी ग्रामों की संख्या-	86
(ड़)	बेचिरागी ग्रामों की संख्या-	22
(ढ़)	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या-	93
(ण)	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या-	03
(त)	उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या-	12
(थ)	पशु चिकित्सा केन्द्र -	01
(द)	पशु चिकित्सा उप केन्द्र-	05
(ध)	विभिन्न बैंक की शाखायें -	03

नोट :- इस अंचल का एक ग्राम कुराहरियां चैनपुर थाना के अन्तर्गत पड़ता है ।

(2) <u>भवन</u>

अंचल कार्यालय दुर्गावती का अपना स्वतंत्र भवन नहीं होने के कारण प्रखण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय एक ही भवन में कार्यरत है । इस भवन की स्थिति ठीक है एवं हाल ही में रंगाई पोताई कराया गया है । अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के लिए कोई आवासीय भवन नहीं है । इसके साथ ही कर्मचारियों सहायकों एवं अनुसेवकों के लिए भी आवासीय भवन नहीं है । प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय जिस जमीन पर अवस्थित है वह जमीन सर्वे खतियान के अनुसार बिहार सरकार राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रखण्ड दुर्गावती के नाम पर खाता सं0–174 खेसरा संख्या–369 रकवा 13.46 एकड दर्ज है । इस जमीन की चहारदिवारी करा दी गयी है । इस संबंध में भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार से पत्राचार किया जाय कि आवासीय भवन का निर्माण कराया जाय ताकि कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्यो का सम्पादन कर सकें। अंचल कार्यालय भवन का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि सरकारी अभिलेख एवं पंजियां व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गये है आलमीरा टूटा हुआ पाया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का रख रखाव सही नहीं है । अंचल अधिकारी दुर्गावती जो निरीक्षण के समय मौजूद थे को निदेश दिया गया कि कार्यालय में रखे गये सभी अभिलेखों का वर्गीकरण कराकर अलग अलग सूचीवद्ध करके रखा जाय । उसके बाद अभिलेख हस्तक अधिनियम के अन्तर्गत जो अभिलेख अभिलेखागार में जमा करने लायक हो उसे जमा करा दिया जाय तथा जो नष्ट करने लायक हो उसको नष्ट करने की कार्रवाई कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। यदि अभिलेख हस्तक नियमावली की जानकारी नहीं हो तो इसकी जानकारी जिला गोपनीय शाखा से प्राप्त कर सकते हैं । बताया गया कि अंचल के सभी कागजात अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होते है क्योंकि अंचल कार्यालय में अधिकांशतः जमीन से संबंधित कागजात होते है जो स्थायी अभिलेख हैं इन कागजातों से रैयतों की भावना जुडी रहती है । उसे हमेशा के लिए रखा जाता है । अंचल अधिकारी इन अभिलेखों पर विशेष ध्यान देकर योजनाबद्ध तरीके से संधारित कराना सुनिश्चित करें'।

(3) <u>प्रभार</u>

श्री अनिल कुमार पाण्डेय, बिहार प्रशासनिक सेवा, 42वीं बैच के पदाधिकारी दिनांक–15.01.2004 से अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री विजय कुमार सिंह अंचल अधिकारी दुर्गावती के प्रभार में थे । श्री चुन्द्रिका चौधरी अंचल निरीक्षक है जो दिनांक–05.01.2000 से अंचल निरीक्षक दुर्गावती के रूप में पदस्थापित है । इनके पूर्व इस अंचल के वरीय राजस्व कर्मचारी श्री उमाशंकर लाल अंचल निरीक्षक के प्रभार में थे । श्री वृजमोहन राय प्रधान सहायक के रूप में दिनांक–15.04.2000 से पदस्थापित है । इनके पूर्व श्री दशरथ प्रसाद नाजिर एवं प्रधान सहायक का कार्य करते थे । अंचल अधिकारी के पदस्थापन की विवरणी से संबंधित उत्तराधिकार पट अंचल अधिकारी के कार्यालय कक्ष में रखा गया है लेकिन अंचल निरीक्षक,प्रधान सहायक एव नाजिर के बारे में तत्संबंधी विवरणी का उत्तराधिकार पट नहीं रखा गया है । निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी के साथ साथ प्रारम्भ से पदस्थापित अंचल निरीक्षक,प्रधान सहायक एवं नाजिर का भी उत्तराधिकार पट संधारित किया जाय ताकि यह पता चल सके कि किस अवधि में कौन पदस्थापित रहे हैं ।

प्रारम्भ से लेकर निरीक्षण की तिथि तक इस अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारियों की विवरणी निम्न प्रकार है-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1	श्री जगन्नाथ मण्डल	28.10.81	15.06.86
2	श्री गोपाल ओझा	16.06.86	21.07.87
3	श्री योगेन्द्र भगत	22.07.87	23.03.88
4	श्री हरिशंकर झा	24.03.88	29.11.88
5	श्री के.के. अग्रवाल	30.11.88	21.08.89
6	श्री गौरीशंकर राय	22.08.89	26.09.89
7	श्री श्रीराम तिवारी	27.09.89	28.09.89
8	श्री ज्ञानशंकर दास	29.09.89	15.06.95
9	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	16.06.95	19.12.95
10	श्री उमाकान्त प्रसाद	20.12.95	10.08.96
11	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	11.08.96	10.01.97
12	श्री मदन जी पाण्डेय	11.01.97	29.09.98
13	श्री संजय कुमार	30.09.98	30.07.99
14	श्री विजय कुमार सिंह	31.07.99	04.01.2000
15	श्री गिरिजा शंकर प्रसाद	05.01.2000	--------
16	श्री संजय कुमार	17.12.2000	06.08.2000
17	श्री राजीव कुमार सिंह	07.08.2000	12.11.2002
18	श्री राजेन्द्र राम	13.11.2002	09.07.2003
19	श्री विजय कुमार सिंह	14.07.2003	14.01.2004
20	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	15.01.2004	अद्यतन

(4) स्थापना

अंचल कार्यालय दुर्गावती में अंचल निरीक्षक, सहायकों,कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के स्वीकृत वल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :–

कमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत वल	रिक्ति	अभियुक्ति
1	अंचल अधिकारी	01	01	––	
2	अंचल निरीक्षक	01	01	––	
3	सहायक	07	05	02	एक जिला विकास शाखा में प्रतिनियुक्त
4	राजस्व कर्मचारी	11	09	02	
5	अंचल अमीन	01	01	––	
6	चालक	01	––	01	
7	अनुसेवक	04	04	––	दो जिला में प्रतिनियुक्त हैं

इस अंचल में सहायक का दो एवं राजस्व कर्मचारी का दो पद रिक्त हैं । 09 पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के संबंध में बताया गया कि एक कर्मचारी शारीरिक रूप से कमज़ोर एवं कार्य करने में असमर्थ है इसलिए इनके स्थान पर अन्य कर्मचारी का पदस्थापन किया जाय । इसके साथ ही एक चालक का पद का भी पद स्वीकृत है जिसपर किसी का पदस्थापन नहीं हुआ है । निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय ।

इसके अतिरिक्त इस अंचल में पदस्थापित सहायकों एव अनुसेवकों संबंधित पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :–

कमांक	पदस्थापित कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन की तिथि	स्थायी पता	वर्तमान पता	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मुन्द्रिका चौधरी	अंचल निरीक्षक	05.01.2000	ग्राम–भिखुआ पो0–फतुहा, जिला पटना	मु0गोविन्दकुआं शिवमंदिर के नजदीक ग्राम व पो0 फतुहा जिला पटना	
2	श्री बन्धु प्रसाद	अंचल अमीन	09.11.99	ग्राम सवार,पो0 सवार थाना करमचट जिलाकैमूर	ग्राम सवार, पो0 सवार थाना करमचट जिलाकैमूर	
3	श्री [illegible] राय	सहायक	15.07.99	ग्राम व पो0–जठवार थाना [illegible]	ग्राम पो0– जठवारथाना [illegible]	

				जिला भोजपुर	जिला भोजपुर	
4	श्री भरत तिवारी	सहायक	01.10.93	ग्रामलाकाडिहरीपो0–कारच इन्दरहिया जिला सासाराम	ग्राम लाकाडिहरीपो0 कारच इन्दरहिया जिला सासाराम	
5	श्री जनेन्द्र कुमार सिंह	सहायक	15.07.93	ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर	ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर	जिला [illegible] भोजपुर
6	श्री कुमार आनन्दकाशी	सहायक	15.05.93	ग्राम पंचपोखरी पो0 व थाना कुदराजिला कैमूर	पंचपोखरी पो0 व थाना कुदराजिला कैमूर	
7	श्री कुंवर प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक	15.06.02	ग्राम व पो0 बेलसड थाना बरौली जिला गोपालगंज	ग्राम व पो0 बेलसड थाना बरौली जिला गोपालगंज	
8	मु0 तलुका कुंवर	अनुसेविका	21.05.91	ग्राम दातिपाव पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम दातिपाव पो0 व थाना दुर्गावती	
9	श्री गुलाब सेठ	अनुसेवक	01.09.93	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	जिला मुख्यालय भोजपुर
10	श्री रामाशंकर सिंह	अनुसेवक		ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	
11	श्री सलीम अली	अनुसेवक	16.10.93	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना मनुआ	
12	श्री रामेश्वर राम	राजस्व कर्मचारी	29.10.99	ग्राम–गुलजारपुर पो0 व थाना–सहार जिलाभोजपुर	ग्राम–गुलजारपुर पो0व थाना–सहारजिला भोजपुर	
13	श्रीउमाशंकरलाल	राजस्व कर्मचारी	01.09.94	ग्राम व पो0– धनपाली चन्दवा जिला भोजपुर	ग्राम व पो0– धनपाली चन्दवा जिला भोजपुर	
14	श्री रामएकबाल राम	राजस्व कर्मचारी	01.10.99	ग्राम मुबारकपुर पो0 पिपरिया थाना मोहनियां	ग्राम मुबारकपुर पो0 पिपरिया थाना मोहनियां	
15	श्री लालबाबूसिंह	राजस्वकर्मचारी	30.07.96	ग्राम–जिगनी पो0 मनिहारी थाना मनुआ।	ग्राम–जिगनी पो0 मनिहारी थाना मनुआ ।	
16	श्री शंकर शरण उपाध्याय	राजस्व कर्मचारी	13.11.99	ग्राम–कोहारी पो0– दरौली थाना मनुआ	ग्राम–कोहारी पो0–दरौली थाना मनुआ	
17	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व कर्मचारी	28.05.98	ग्राम व पो0 बरुहीथाना सहार जिला भोजपुर	ग्राम व पो0 बरुही थाना सहार जिला भोजपुर	
18	श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह	राजस्व कर्मचारी	09.11.97	ग्राम व पो0–एकवना थाना बड़हरा जिला भोजपुर	ग्राम व पो0– एकवनाथाना बड़हरा जिला भोजपुर	
19	श्री विजय राम	राजस्व कर्मचारी	01.11.99	ग्राम मेरा पो0–मंगरा थाना इमामगंज,जिला गयाबिहार	ग्राम मेरा पो0–मंगरा थाना इमामगंज,जिला गयाबिहार	
20	श्री लक्ष्मण प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	27.05.98	ग्राम चिकटोली पो0– आरा जिला भोजपुर ।	ग्राम चिकटोली पो0–आरा जिला भोजपुर ।	

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अंचल में पदस्थापित अधिकांश कर्मचारी एवं सहायक तीन वर्ष से अधिक की अवधि से पदस्थापित हैं । अतः इस विषय को स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय । अंचल निरीक्षक भी तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित हैं । अतः उन्हें अन्यत्र पदस्थापन हेतु आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना से अनुरोध करें ।

इसके अतिरिक्त इस अंचल में पदस्थापित दफादार एवं चौकीदारों से संबंधित पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :–

1	श्री रामअवध पाण्डेय	दफादार	01.01.93	ग्राम–तिरोजपुर पो0– देवहलिया थाना–दुर्गावती कैमूर	ग्राम–तिरोजपुर पो0– देवहलिया थाना– दुर्गावती कैमूर	
2	श्री सूबदार सिंह	चौकीदार	04.01.99	ग्राम सरैया टोला खजूरा थाना दुर्गावती	ग्राम सरैया टोला खजूरा थाना दुर्गावती	
3	श्री सूबपति सिंह यादव	चौकीदार	31.08.96	ग्राम धनच्छा थाना–दुर्गावती	ग्राम धनच्छा थाना–दुर्गावती	
4	श्री झगटू बिन्द	चौकीदार	01.01.93	ग्राम रूईया पो0– रूईया थाना दुर्गावती	ग्राम रूईया पो0– रूईया थाना दुर्गावती	
5	श्री नन्दकुमार कुर्मी	चौकीदार	11.02.93	ग्राम–नचखिया पो0– पिपरिया थाना दुर्गावती	ग्राम–नचखिया पो0– पिपरिया थाना दुर्गावती	
6	श्री बनारसी दुसाध	चौकीदार	01.01.93	ग्राम–नछनहट्टा पो0– दुर्गावती कैमूर	ग्राम–नछनहट्टा पो0– दुर्गावती कैमूर	
7	श्री रामविलास अहिर	चौकीदार	01.01.93	ग्राम–साहपुर.पो0–कुडारी थाना दुर्गावती	ग्राम–साहपुर.पो0–कुडारी थाना दुर्गावती	
8	श्री रामसिंगार राम	चौकीदार	01.01.93	ग्राम–जमुरनी पो0– कर्मनाशा थाना दुर्गावती	ग्राम–जमुरनी पो0– कर्मनाशा थाना दुर्गावती	
9	श्री सोहन राम	चौकीदार	01.01.93	ग्राम व पो0–करारी थाना दुर्गावती ।	ग्राम व पो0–करारी थाना दुर्गावती ।	
10	श्री राजवंश दुसाध	चौकीदार	11.02.93	ग्राम– बिछिया पर्चालिख थाना दुर्गावती	ग्राम– बिछिया पर्चालिख थाना दुर्गावती	
11	श्री रामसुदरशन सिंह यादव	चौकीदार	01.01.93	ग्राम–बहरा पो0–दुर्गावती जिला कैमूर	ग्राम–बहरा पो0–दुर्गावती जिला कैमूर	
12	श्री श्यामनाथ यादव	चौकीदार	01.01.93	ग्राम कल्याणपुर पो0– कल्हुआ थाना–दुर्गावती	ग्राम कल्याणपुर पो0– कल्हुआ थाना–दुर्गावती	
13	श्री मुन्शी पासवान	चौकीदार	11.02.93	ग्राम जवरी.पो0–पर्चालखी थाना दुर्गावती ।	ग्राम जवरी.पो0–पर्चालखी थाना दुर्गावती ।	
14	श्री मुन्ना राम	चौकीदार	11.02.93	ग्राम व पो0–मसाढ़ी थाना दुर्गावती	ग्राम व पो0–मसाढ़ी थाना दुर्गावती	
15	श्री रामअशीष पासवान	चौकीदार	31.08.96	ग्राम राहुआ खुर्द पो0 दुर्गावती जिला कैमूर	ग्राम राहुआ खुर्द पो0 दुर्गावती जिला कैमूर	
16	श्री भरतनाथ दुसाध	चौकीदार	01.01.93	ग्राम व पो0–अखिलासपुर थाना दुर्गावती कैमूर	ग्राम व पो0–अखिलासपुर थाना दुर्गावती थाना	

17	श्री कमला पासवान	चौकीदार	11.02.93	ग्राम–तिराजपुर पो0– दवहालपा दुर्गावती कमूर	ग्राम–तिराजपुर पो0– दवहालपा दुर्गावती कमूर।
18	कमला यादव	चौकीदार	31.08.96	ग्राम धनच्छा,पो0 व थाना दुर्गावती जिला कमूर	ग्राम धनच्छा,पो0 व थाना दुर्गावती जिला कमूर
19	श्री राम जी पासवान	चौकीदार	31.09.96	ग्राम तुआव पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम तुआव पो0 व थाना दुर्गावती
20	श्री सूबेदार राजभर	चौकीदार	11.02.93	ग्राम धनसराय पो0 करमनाशा अंचल दुर्गावती	ग्राम धनसराय पो0 करमनाशा अंचल दुर्गावती
21	श्री चन्दना यादव	चौकीदार	01.01.90	ग्राम–डुमरांपो0कविलासपुर थाना दुर्गावती कमूर	ग्राम–डुमरीपो0कविलासपुर थाना दुर्गावती कमूर।
22	श्री शिवधार यादव	चौकीदार	31.03.96	ग्राम डहला,पो0 व थाना दुर्गावती कैमूर ।	ग्राम डहला,पो0 व थाना दुर्गावती कैमूर ।
23	श्री रमेश यादव	चौकीदार	31.03.96	ग्राम धनिआरी पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम धनिआरी पो0 व थाना दुर्गावती
24	श्री महादेव दुसाध	चौकीदार	11.02.93	ग्राम अवाहिंया पो0 चिनरिया थाना दुर्गावती जिला कमूर	ग्राम अवहिंया पो0 चिनरिया थाना दुर्गावती जिला कमूर
25	श्रीबालरामपासवान	चौकीदार	31.03.96	ग्राम सावठ पो0–दुर्गावती	ग्राम सावठ,पो0–दुर्गावती
26	श्री कमलेश पासवान	चौकीदार	25.08.00	ग्राम– कल्याणपुर पो0– कल्हनुआ,दुर्गावती	ग्राम– कल्याणपुर, पो0– कल्हनुआ,दुर्गावती
27	श्री सुरेन्द्र यादव	चौकीदार	28.05.00	ग्राम अकोढी पो0–दुर्गावती	ग्राम अकोढी पो0–दुर्गावती
28	श्री उदय नारायण राम	चौकीदार	28.05.00	ग्राम सारियांव,पो0व थाना– दुर्गावती कैमूर	ग्राम सारियांव,पो0व थाना– दुर्गावती कैमूर
29	श्री महेन्द्र राम	चौकीदार	28.05.00	ग्राम पिपरी पो0 करमनाशा थाना दुर्गावती कैमूर	ग्राम पिपरी पो0 करमनाशा थाना दुर्गावती कैमूर
30	श्री विजयशंकर पासवान	चौकीदार	16.07.00	ग्राम लरमा पो0–करमनाशा थाना दुर्गावती कैमूर	ग्राम लरमा,पो0–करमनाशा थाना दुर्गावती कैमूर
31	श्री ब्रजेश पासवान	चौकीदार	15.09.01	ग्रामकर्णपुरापो0वथाना – दुर्गावती कैमूर	ग्राम कर्णपुरा पो0 व थाना – दुर्गावती कैमूर
32	श्री राजकुमार प्रसाद	चौकीदार	21.12.01	ग्राम डिडखिली,पो0– अकोढी दुर्गावती कैमूर	ग्राम डिडखिली,पो0– अकोढी दुर्गावती कैमूर
33	श्री गोरख दुसाध	चौकीदार	01.01.90	ग्राम कटसा दुर्गावती कैमूर	ग्राम कटसा दुर्गावती कैमूर
34	श्री अर्जीत कुमार	चौकीदार	27.09.02	ग्राम धर्नीपुर पो0 व थाना दुर्गावती जिला कैमूर	ग्राम धर्नीपुर पो0 व थाना दुर्गावती जिला कैमूर
35	श्री अमित कुमार पाण्डेय	चौकीदार	14.07.03	नव नियुक्त	नव नियुक्त

इस अंचल में दफादार के तीन पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध एक दफादार पदस्थापित हैं । इसी प्रकार चौकीदार का 42 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध पदस्थापन 35 है अभी चौकीदार के 07 पद रिक्त है ।

(5) पूर्व निरीक्षण

प्रारम्भ से लेकर आज तक अंचल कार्यालय दुर्गावती का निरीक्षण निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा किया गया है –

क्रमांक	निरीक्षण करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	श्री एस के सिन्हा भा प्र से समाहर्त्ता रोहतास	13.03.1989	09.09.1989
2	श्री आर के श्रीवास्तव भा प्र से जिला पदा0, कैमूर	31.01.1991	27.03.1992
3	श्री गोपी चन्द दास, अपर समाहर्त्ता रोहतास	27.03.1989	22.05.1989
4	श्री मदन मोहन वर्मा, अपर समाहर्त्ता कैमूर	29.03.1994	06.07.1995
5	श्री रामचन्द्र चौधरी अनु0 पदा0, भभुआ	31.03.1982	31.05.1982
6	श्री एन के सिन्हा भा प्र से अनु0 पदा0, भभुआ	13.01.1983	12.03.1983
7	श्री अरुण झा भा प्र से अनु0 पदा0 भभुआ	23.03.1984	02.05.1984
8	श्री [illegible] सिन्हा अनु0 पदा0, भभुआ	23.05.1986	[illegible] 1986
9	श्री [illegible] कुमार भा प्र से अनु0 पदा0, भभुआ	13.03.1986	[illegible] 1986
10	श्री [illegible] अनु0 पदा0 भभुआ	28.02.1989	[illegible] 1989
11	श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, अनु0 पदा0 मोहनिया	29.01.1994	[illegible]
12	श्री [illegible] सिंह अनु0 पदा0 मोहनिया	03.03.1997	[illegible] 1997
13	श्री डी के [illegible] उप समाहर्त्ता प्र भू सु भभुआ	19.08.1982	[illegible] 1982
14	श्री डी के [illegible] उप समाहर्त्ता प्र भू सु भभुआ	25.01.1983	14.02.1983
15	श्री डी के [illegible] उप समाहर्त्ता प्र भू सु भभुआ	08.09.1983	12.10.1983
16	श्री डी के [illegible] उप समाहर्त्ता प्र भू सु भभुआ	02.04.1984	[illegible] 1985
17	श्री डी के [illegible] उप समाहर्त्ता प्र भू सु भभुआ	01.02.1985	21.08.1985
18	श्री [illegible] उप0स0 प्रभारी भू0सु0 भभुआ	10.04.1986	[illegible] 1986
19	श्री हरिहर प्रसाद सिंह उप0स0प्रभारी भू0सु0भभुआ	20.07.1991	[illegible] 1991

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अंचल का कुल 19 पदाधिकारियों द्वारा [illegible] वर्ष 1990 के बाद किसी भी [illegible] पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं [illegible] अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता की निरीक्षण टिप्पणी के लिए [illegible] पदाधिकारी के निरीक्षण टिप्पणी की [illegible]

निदेश दिया गया कि सभी निरीक्षी पदाधिकारी के लिए अलग अलग रक्षी संचिका संधारित की जाय एवं उसमें दिये गये निदेशों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाय ।

अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पदाधिकारियों द्वारा अंचल कार्यालय दुर्गावती का निरीक्षण किया गया है लेकिन कार्यालय में रक्षी संचिका की मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका । यह कार्य कार्यालय की लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली नियम 60 के अनुसार सभी कोटि के पदाधिकारियों के लिए अलग अलग निरीक्षण टिप्पणी के लिए रक्षी संचिका संधारित किया जाना है पर ऐसा नहीं किया गया है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि कार्यालय में उपर्युक्त प्रकार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों की अलग अलग रक्षी संचिकाओं का संधारण सुनिश्चित करायें। रक्षी संचिका के संधारण की जवाबदेही प्रधान सहायक की है अतः यदि रक्षी संचिका विहित प्रक्रिया के अनुरूप संधारित नहीं होती है तो जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए संबंधित प्रधान सहायक के विरुद्ध अभिलेख को गठित करने हेतु प्राथमिकी दर्ज करें । अनुमण्डल पदाधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रखी गयी है । यह प्रधान सहायक की लापरवाही का द्योतक है । निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में साटकर रखने हेतु पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है लेकिन प्रधान सहायक अपनी जिम्मेवारी को निभाने में विफल रहे हैं ।

जब भी किसी कार्यालय का निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने के बाद उस कार्यालय की जिम्मेवारी बनती है कि निरीक्षण टिप्पणी को पदाधिकारीवार कालानुसार गार्ड फाईल में संधारित किया जाय । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 52 एवं 80 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी को वर्ष में दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण करना है । लेकिन किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है । यह अत्यन्त ही दुखद स्थिति है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि भविष्य में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और वर्ष में दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण स्वयं करें । निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर एक प्रति जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध करावें एवं उसमें दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए राजस्व शाखा को सूचित करें । अन्य सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने अपने कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में दोबार करना सुनिश्चित करें ।

इसके अतिरिक्त समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 60 के तहत अलग अलग निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग अलग रक्षी संधारित करने का प्रावधान किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने के बाद उसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अन्यथा निरीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल कार्यालय दुर्गावती द्वारा उसमें दिये गये निदेशों का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है । मात्र खानापुरी की गयी है । अंचल अधिकारी दुर्गावती को निदेश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणियों को पढ़े तथा उसमें दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करावें । निरीक्षण टिप्पणी को पढ़ने से जानकारी प्राप्त होती है । यह कार्यालय की धरोहर है इसका सुरक्षित रखना कार्यालय की जिम्मेवारी है ।

(6) पत्राचार

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8(1) एवं (2) प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है । लम्बित पत्रों का काल [illegible] से अग्रसारित नहीं किया गया है । कार्यालय में विगत तीन वर्षों के पत्राचार की स्थिति निम्नवत है :–

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त पत्रों की सं0	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2001–2002	646	497
2	2002–2003	552	427
3	2003–2004	296	528
4 (इन्द्र04तक)	2004–2005	195	207

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि दिनांक–23.04.2004 के बाद कोई पत्र प्राप्त नहीं दिखाये गये है । पूर्व सूचना के बावजूद जांच हेतु पहुंचने के बाद भी अंचल अधिकारी द्वारा [illegible] निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं की गयी है मात्र खानापुरी की गयी है।

(क) प्राप्त पत्रों की पंजी:–

प्राप्त पत्रों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षण की तिथि तक अंचल कार्यालय दुर्गावती में कुल [illegible] प्राप्त हुए है जो दिनांक–28.04.2004 तक की प्रविष्टि के अनुसार है । इसके बाद निरीक्षण की तिथि 08.05.2004 तक अवश्य ही [illegible] पत्र प्राप्त हुए होंगे जिसकी प्रविष्टि नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त होनेवाले सभी पत्रों को नियमित रूप से नहीं [illegible] जाता है । प्राप्त पत्रों की पंजी के सभी कालम भी नहीं भरे गये है । यह कार्यालय की लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित [illegible] है। अंचल अधिकारी सहित कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि नियमित रूप से निर्दिष्ट प्रक्रिया के [illegible] पंजी के सभी कालम भरे जांय अंचल अधिकारी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें । इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी को यह भी आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अपने कार्यालय की समीक्षा कर यह प्रतिवेदित करें कि प्राप्त होनेवाले सभी पत्र [illegible] रखे गये अथवा नहीं और उसके निष्पादन की क्या स्थिति है ।

(ख) निर्गत पत्रों की पंजी :–

निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया । दिनांक–06.05.2004 तक कुल 207 पत्र निर्गत किये गये है । [illegible] गये पत्र संख्या– 191,192,193,194,195,196,197 के सामने संचिका संख्या अंकित नहीं किया गया है जिससे यह पता [illegible] कि निर्गत किया गया पत्र किस संचिका में रखा गया है। निर्गत करनेवाले सहायक की हस्तलिपि बहुत ही खराब है और [illegible] है । निदेश दिया गया कि अच्छे हस्तलिपि वाले सहायक को इसका प्रभार दिया दिया जाय [illegible] पत्राचार किसी [illegible]

होता है और [illegible] एवं निर्गत पत्रों की पंजी उसके शिरा और धमनी के रूप में कार्य करता है । अगर पत्राचार सही [illegible] नहीं होता है तो उस पदाधिकारी की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है । अंचल कार्यालय दुर्गावती के पत्राचार की [illegible] निराशाजनक है एवं विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है । इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

(7) अनुक्रमणी पंजी (पंजी 62) :–

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 12 के अनुसार अनुक्रमणी पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया [illegible] कि 53 विषयों पर संचिकायें खोली गयी है । इस अनुक्रमणी पंजी में Index नम्बर ठीक से नहीं दिया गया है । निरीक्षण [illegible] पूर्व में निर्गत निदेश के अनुरूप अनुक्रमणी पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाए । ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी [illegible] इन मामलों में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि विहित प्रक्रियानुसार अनुक्रमणी [illegible] संधारण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें ।

(8) सेवा पुस्त

सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया और, पाया गया कि श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह नाजिर..की सेवा पुस्तिका दिनांक–13.08.88 तक ही उपार्जित अवकाश की गणना की गयी है उसके बाद का कोई उल्लेख नहीं । सरकारी प्रावधान के [illegible] प्रत्येक वर्ष सेवा पुस्तिका में अवकाश की गणना करके उसकी प्रविष्टि करनी है जो नहीं किया गया है । यही स्थिति सभी कर्मचारी के सेवा पुस्तिका की पाई गयी । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में की गयी पृच्छा का जवाब भी न तो प्रधान सहायक द्वारा दिया जा सका और न ही अंचल अधिकारी द्वारा :–

1. किस शीर्ष से वेतन का भुगतान किया जाता है ?
2. वार्षिक वेतन वृद्धि की क्या स्थिति है ? वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सत्यापित कराया जाना है
3. स्थानान्तरण होने पर उसकी प्रविष्टि की जाती है अथवा नहीं ?
4. यदि दण्ड दिया जाता है तो उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से तथा प्रशंसा की प्रविष्टि हरा स्याही से करने का प्रावधान है उसको किया जाता है कि नहीं ?
5. प्रत्येक पांच वर्ष पर हस्ताक्षर को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है उसको किया जाता है कि नहीं ?

अंचल अधिकारी दुर्गावती को आदेश दिया गया कि सभी उपरोक्त मामलों की जांच पड़ताल के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर यह प्रतिवेदन दें कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ।

सेवा पुस्त की पंजी संधारित नहीं की गयी है । सभी प्रकार की पंजियां संधारित करने हेतु पूर्व में निदेश दिया जा चुका है जिसका अनुपालन किया जा रहा प्रतीत नहीं हो रहा है । इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए पुनः निदेश दिया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्त पंजी संधारित की जाय ।

इस कार्यालय में सेवा पुस्तिका संधारित गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि चौकीदारों की सेवा पुस्तिका के साथ कुछ ऐसे चौकीदारों की सेवा पुस्तिका रखी गयी है जो या तो सेवा निवृत्त हो चुके है अथवा जो मर चुके है । निदेश दिया गया कि मृत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों अथवा चौकीदारों की सेवा पुस्तिका कार्यरत कर्मचारियों/चौकीदारों से अलग रखी जाय ।

(9) उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया । यह पंजी विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं संधारित की गयी है तथा उसकी स्थिति अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तथा अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन इसकी जांच नहीं की जाती है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ होने के आधा घंटा बाद एवं कार्यालय बन्द होने के आधा घंटे पूर्व पंजी की जांच कर अपना हस्ताक्षर किया जाय तथा उपस्थिति पंजी की मरम्मति कराकर सुव्यवस्थित स्थिति में रखा जाय ।

(10) भविष्य निधि पासबुक

भविष्य निधि पास बुक का अवलोकन किया और पाया गया कि श्री जनेश्वर कुमार सिंह [illegible] का पास बुक नहीं है । निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेखा जोखा सही ढंग से संधारित नहीं हो पाने के कारण सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो पाता है जिसके कारण वे न्यायालय की शरण में जाने को विवश होते है और प्रशासन को भी अनावश्यक परेशानी होती है । अतः निदेश दिया गया कि कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष की गयी कटौती की विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय से सत्यापित कराकर कार्यालय में संधारित किया जाय ताकि आवश्यकतानुसार भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी में किसी कर्मचारी को कोई परेशानी न हो । इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पूर्व के सेवा काल की विवरणी भी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर जिला भविष्य निधि कार्यालय से सत्यापित करा लेना है । अंचल अधिकारी इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें ।

(11) स्टाक पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है । नियमानुसार प्रत्येक [illegible] में स्टाक पंजी का संधारण किया जाना [illegible] । निदेश दिया गया कि इस पंजी को संधारित किया जाय । अगले निरीक्षण के दौरान इसकी समीक्षा की जायगी ।

(12) प्रभार पंजी

[illegible] पंजी का अवलोकन किया और पाया कि प्रभार पंजी अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है । श्री [illegible] प्रभार [illegible] का [illegible] किया । यह पंजी अंचल अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं है । मात्र एक पन्ना पर 10 [illegible] की [illegible] के प्रभार में रहनेवाले सहायक का विभिन्न फैलों एवं अन्य [illegible] से अंचलों तक अवश्य ही प्रभार होते [illegible] इस पंजी में संधारित किया गया प्रतीत नहीं होता है। यह संबंधित सहायक की लापरवाही को परिलक्षित करता है । [illegible] सहायकों की भी है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रधान सहायक सहित सभी सहायकों की प्रभार [illegible] कराई जाय जिसमें उनके अधीन सभी अभिलेखों एवं अन्य कागजातों का विवरण दर्ज रहेगा । इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण [illegible] पश्चात प्रभार का आदान प्रदान करने में भी सुविधा होगी ।

इस अंचल में स्थायी सामग्रियों की प्रभार पंजी नहीं संधारित की गयी है । यह संबंधित सहायक की लापरवाही को [illegible] करता है । यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पंजी है अतः इस संबंध में अंचल अधिकारी दुर्गावती को निदेश दिया गया कि एक [illegible] अन्दर इसका संधारण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय ।

(13) आकस्मिक अवकाश पंजी

आकस्मिक अवकाश की पंजी संधारित है जिसमें सभी कर्मचारियों द्वारा लिये गये आकस्मिक अवकाश की प्रविष्टि [illegible] की गयी है ।

(14) कर्मपुस्त

इस कार्यालय में कार्यरत सहायकों के लिए अलग अलग कर्मपुस्त संधारित किया गया है जिसका अवलोकन किया [illegible] गया कि श्री कुंवर प्रसाद श्रीवास्तव सहायक के कर्मपुस्त में कुल 106 पत्र प्राप्त हुए है । श्री वृजमोहन राय प्रभारी प्रधान सहायक [illegible] लॉगबुक में 29 पत्रा श्री जैनेन्द्र कुमार के लॉगबुक में 6 एवं एक अन्य सहायक के लॉग बुक में कुल 31 पत्र अर्थात कुल 172 [illegible] 2004 में चार माह की अवधि में प्राप्त हुए है । प्राप्त पत्रों के संधारण एवं इसके निष्पादन की प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए [illegible] दिया गया कि अंचल अधिकारी प्राप्त पत्रों एवं इसके निष्पादन की स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन दें ।

(15) लम्बित पत्रों की पंजी

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 14 के अनुसार लम्बित पत्रों की पंजी संधारित करना है लेकिन इस कार्यालय में [illegible] पत्रों की पंजी नहीं संधारित की गयी है । इसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया गया कि पूर्व के लम्बित पत्रों को [illegible] अग्रसारित कर लाया जाता है एवं लम्बित रहने का कारण अंकित किया जाता है । निदेश दिया गया कि यह पंजी महत्वपूर्ण है [illegible] इसका संधारण सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन दें।

(16) संचिका गति पंजी

यह पंजी संधारित नहीं है । इस पंजी को संधारित करने हेतु पूर्व में निदेश दिये जा चुके है इसके बावजूद अनुपालन नहीं किया जा सका है । यह खेदजनक स्थिति है । निदेश दिया गया कि संचिका गति पंजी का संधारण सुनिश्चित करें ।

(17) वाहन का लॉगबुक

संधारित नहीं है । बताया गया कि इस अंचल में न तो वाहन है और न ही चालक इसलिए वाहन का लॉगबुक संधारित नहीं किया गया है ।

(18) रक्षी संचिका की पंजी

रक्षी संचिका की पंजी संधारित नहीं है ।जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि कार्यालय में कुल कितनी रक्षी संचिका खोली गयी है । यह पंजी प्रधान सहायक के पास रहती है । इस पंजी को संधारित नहीं किया जाना प्रधान सहायक की लापरवाही है । रक्षी संचिका की पंजी महत्वपूर्ण पंजी है । अंचल अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर रक्षी संचिका की पंजी खोलवाकर उसमें अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करावें तथा प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें ।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में पंजियों की पंजी,लोकसभा विधान सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी संधारित नहीं है मात्र व्यवहार न्यायालय एवं अनुमण्डलीय न्यायालय से संबंधित पंजी संधारित है । माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों से संबंधित पंजी नहीं संधारित है । निदेश दिया गया कि भिन्न भिन्न न्यायालयों से संबंधित पंजी अलग अलग संधारित किया जाय तथा सभी न्यायालयों में चल रहे वादों की प्रविष्टि दर्ज की जाय एवं समय सीमा के अन्दर उचित पैरवी भी की जाय ताकि सरकार का पक्ष मजबूत रहे ।

(19) अंकेक्षण पंजी

इस अंचल में अंकेक्षण पंजी संधारित नहीं की गयी है जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि कार्यालय में कितने अंकेक्षण आपत्ति है और उसमें से कितने का अनुपालन किया गया है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अंकेक्षण पंजी खोलकर प्राप्त अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(20) [illegible] की पंजी

इस [illegible] में [illegible] की [illegible] संधारित [illegible] है जिस [illegible] पता नहीं चलता है कि कुल कितना [illegible] अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर [illegible] की पंजी [illegible] करते हुए अनुपालन [illegible] में यह भी [illegible] करें कि अंचल में कुल कितनी [illegible] गयी है ।

(21) सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस तिथि को कौन कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें साथ ही [illegible] तक सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों की सूची जिला स्थापना शाखा को भेज दिया जाय ।

(22) लगान वसूली

विगत तीन वर्षों में भूलगान मद में की गयी वसूली की समीक्षा की गयी स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्र०	वर्ष	मांग बकाया	मांग हाल	मांग योग	वसूली बकाया	वसूली हाल	वसूली योग	प्रतिशत
1	02.03	25708.58	506533.54	532240.12	25708.58	505347.43	531054.00	99.93
2	03.04	172906.03	507841.97	680750.00	172906.03	507541.97	680450.00	100 %
3	04.05	300.00	507541.97	507841.97	300.00	33200.00	33500.00	6 %

लगान रसीद पंजी एवं वितरण पंजी का अवलोकन किया । लगान रसीद की मूल प्रति रैयत को दी जाती है तथा कार्बन प्रति कर्मचारी के पास रह जाती है जिसे कार्यालय में जमा करने का प्रावधान है लेकिन किसी भी कर्मचारी द्वारा रसीद की कार्बन प्रति कार्यालय में जमा नहीं किया गया है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि वे शीघ्र इसे जमा कराना सुनिश्चित करते हुए सूचित करें ।

(23) डिमाण्ड रजिस्टर

हल्कावार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया गया है । जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि यह पंजी हल्कावार संधारित नहीं है बल्कि अंचलवार तैयार किया गया है । रैयतवार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया गया है कि नहीं । इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए मांग को अद्यतन करने हेतु कम्पाईलेशन शीट तैयार करने की आवश्यकता [illegible] कहा गया कि रैयतवार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया जाय ।

(24) अतिक्रमण वाद पंजी

यह पंजी संधारित है जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि इस पंजी में अतिक्रमण के 17 मामले लम्बित है । इन वादों का अवलोकन किया और पाया कि एक मामला दिनांक–08.09.99 को प्रारम्भ हुआ है जिसमें दिनांक–दिनांक–:0.04.2004 को सिर्फ नोटिस निर्गत करने का आदेश हुआ है । उसके बाद कोई कारवाई नहीं की गयी है। यह बहुत ही गम्भीर बात है । अंचल अधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें । पुनः अभिलेख संख्या–02/02 का अवलोकन किया और पाया कि यह अभिलेख दिनांक–27.10.99 को प्रारम्भ हुआ है इसके बाद 30.05.2000 को रखा गया है इसके चार वर्ष बाद दिनांक–30.04.2004 को उपस्थापित किया गया है । किसी अतिक्रमण वाद को चार वर्ष तक उपस्थापित नहीं करना गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही का द्योतक है । संबंधित सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करें तथा अंचल अधिकारी भी स्पष्टीकरण दें ।

अतिक्रमण वाद सं0–03/2000–2001 का अवलोकन किया और पाया कि यह वाद दिनांक–02.11.99 को प्रारम्भ होकर दिनांक–28.12.99 को उपस्थापित किया गया है । इसके बाद लगभग पांच वर्ष की अवधि बीत चुकी है लेकिन अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका है । यह स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि अतिक्रमण के सभी अभिलेखों की जांच कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें ।

(25) दाखिल खारिज पंजी

दाखिल खारिज पंजी(पंजी 27) संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि वर्ष 2003–2004 में कुल 1009 मामले दायर किये गये थे जिसमें से 986 मामले निष्पादित दिखाये जा रहे है परन्तु किसी भी अभिलेख का निष्पादन अन्तिम रूप से नहीं किया गया है । किसी भी अभिलेख में जमाबन्दी कायम करने के पश्चात शुद्धि पत्र नहीं लगाया गया है और न ही अभिलेख का अन्तिम रूप से निस्तार ही किया गया है । शेष 23 मामले अभी लम्बित है । यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । दाखिल खारिज से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध करके यथासम्भव उसका निष्पादन शिविर में ही करने का प्रयास किया जाय क्योंकि दाखिल खारिज राजस्व संबंधी कार्यों के महत्त्वपूर्ण दायित्वों में से एक है । अंचल अधिकारी विहित प्रपत्र में पंजी का संधारण सुनिश्चित करायें और अनुपालन प्रतिवेदन दें । अभी बहुत से दाखिल खारिज के मामले लम्बित है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है । अतः अंचल अधिकारी सभी हल्कों में व्यापक प्रचार प्रसार कराकर आवेदन आमंत्रित करें एवं हल्का में ही शिविर लगाकर उसका निष्पादन करें । इस कार्य में जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय ।

[illegible] जमीन की [illegible] :-

[illegible] अंचल में कुल [illegible] एकड [illegible] जमीन है जिसमें से [illegible] एकड [illegible] बन्दोबस्ती [illegible] । [illegible] बन्दोबस्त है । [illegible] 110.78 [illegible] जमीन की बन्दोबस्ती [illegible] प्रस्ताव [illegible] एवं [illegible] । निदेश दिया गया कि [illegible] के रूप में बन्दोबस्ती हेतु तैयार किये [illegible] प्रस्तावों में [illegible] कर लिया जाय और सत्यापन प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराया जाय ताकि बन्दोबस्ती [illegible] होने की सम्भावना न रहे ।

(27) भूविवाद पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है । पंजियों के संधारण हेतु पूर्व में ही दिशा निदेश दिये जा चुके है । निदे[illegible] कि दिये गये निदेशों के अनुरूप इसका संधारण किया जाय।

(28) नीलाम पत्र वाद पंजी

निलाम पत्र वाद से संबंधित पंजी IX संधारित नहीं है । निदेश दिया गया कि प्रपत्र IX में नीलाम पत्र [illegible] संधारित की जाय ।

(29) न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी पंजी संधारित नहीं है । अंचल कार्यालय में न्यूनतम मजदूरी पंजी का संधारण आवश्यक है [illegible] तत्संबंधी मामले दर्ज किये जायेगें । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि इस पंजी का संधारण करावें एवं श्रम प्रवर्तन [illegible] को आदेश दिया गया कि अधिक से अधिक मामले अंचल अधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में ही दायर [illegible] मामलों का निष्पादन शीघ्र हो सके एवं पीडित मजदूरों को न्याय सुलभ हो सके ।

(30) भूदान पंजी

भूदान पंजी संधारित नहीं है । पूछे जाने पर बताया गया कि भूदान में कुल 53.39 एकड जमीन प्राप्त हुई थी [illegible] वितरण कर दिया गया है वर्तमान में भूदान से संबंधित कोई जमीन वितरण हेतु अवशेष नहीं है ।

(31) व्यवसायिक लगान

यह पंजी संधारित नहीं है । बताया गया कि इस अंचल में कुल 18 ईंट भट्ठे थे जिसमें से कुछ बन्द हो गये हैं । क्या सभी ईंट भट्ठे वाणिज्यकर विभाग में निबंधित है बताया गया कि नहीं ।अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि इस अंचल में चल रहे सभी ईंट भट्ठों की जांच कर ली जाय एवं जो वाणिज्यकर विभाग से निबंधित नहीं है उन्हें निबंधित कराया जाय तथा की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जाय । विगत तीन वर्षों में व्यवसायिक लगान के मद में लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क0	वर्ष	मांग			वसूली		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1.	02–03	769788.25	100210.00	867998.25	20366.00	––	20366.00
2.	03–04	847632.25	100210.00	947842.25	11856.00	––	11856.00
3	04–05	935936.25	100210.00	1036196.25	––	––	––

उपरोक्त विवरणी स्पष्ट करती है कि इस मद में व्यवसायिक लगान की वसूली की प्रगति अत्यन्त ही निराशाजनक है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इस मद में 1036196.25 रु० की वसूली करनी है । निदेश दिया गया कि इसमें अपेक्षित सुधार लाया जाय और लक्ष्य को पूरा किया जाय ।

(32) लगान रसीद भंडार पंजी

यह पंजी संधारित नहीं है । इस पंजी का संधारण आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि राजस्व कर्मचारियों को कुल कितने मोल्ड हस्तगत कराये गये हैं तथा उनमें से कितने मोल्ड का उपयोग किया गया है [illegible] उपयोग किया गया है कितने मोल्ड लौटाये गये हैं [illegible] किये गये [illegible] कर्मचारी के पास कितने मोल्ड [illegible] में कितना मोल्ड निर्गत किया जा रहा है [illegible] कार्रवाई से लगान रसीद बही का दुरुपयोग [illegible] नहीं किया जा सकता है । अंचल निरीक्षक [illegible] निर्दिष्ट [illegible] इस पंजी [illegible] अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

(33) [illegible] निरीक्षण पंजी

[illegible]

(34) सैरात पंजी

सैरात पंजी संधारित [illegible] लेकिन विहित प्रपत्र में नहीं है । इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस [illegible] 30 [illegible] एवं 82 [illegible] सैरात है । [illegible] गया कि [illegible] सैरात बिहार सरकार के आदेश के आलोक [illegible] मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित कर [illegible] गया है । अब अंचल में कुल 30 जलनिवत (फलकर) सैरात है जिसमें से तीन [illegible] को सैरात सूची से हटाने के लिए [illegible] किया गया है क्योंकि अब कोई फलकर वृक्ष नहीं [illegible] गया है । इस प्रकार अब [illegible] मात्र 27 फलकर सैरात रह गये हैं जिसकी बन्दोबस्ती करने की कार्रवाई की जा रही है । सभी फलकर वृक्ष आम के हैं । [illegible] गया कि सभी सैरातों को बन्दोबस्त कर दिया जाय ।

(35) बेदखली पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है । बताया गया कि बेदखली से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(36) भूहदबन्दी पंजी

यह पंजी संधारित है लेकिन विहित प्रक्रियानुसार उसमें आवश्यक प्रविष्टी अंकित नहीं की गयी है। समीक्षा से [illegible] कि कुल अर्जित भूमि 277.51 एकड़ है जिसमें से 101.22 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है 133.00 एकड़ भूमि विलोपित [illegible] 138.29 एकड़ का मामला विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है ।

(37) रोकड पंजी

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 की कंडिका–1 के अनुसार सामान्य रोकड बही संधारित है । रोकड [illegible] अवलोकन किया और पाया कि परन पित्त आयोग की 41600/–रूपये की राशि पडी हुई है लेकिन अंचल अधिकारी को यह [illegible] नहीं है कि इस राशि का क्या करना है । पूछे जाने पर नाजिर के द्वारा बताया गया कि पास बुक के आधार पर प्रभार ग्रहण [illegible] इसके पूर्व श्री गिरिजा शंकर प्रसाद अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे जो वर्तमान समय में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी [illegible] (मधुबनी) के पद पर पदस्थापित हैं बिना प्रभार दिये ही चले गये हैं । उक्त अवधि में नाजिर के रूप में श्री दशरथ प्रसाद [illegible] ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल मनुआ पदस्थापित थे जो वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुके हैं के द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण [illegible] पासबुक के आधार पर प्रभार लेकर कार्य किया जा रहा है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता [illegible] आदेश दिया कि वे स्वयं दुर्गावती अंचल कार्यालय में जाकर आलमीरा का ताला तोडवाकर पूर्व से में रखे गये कागजातों का [illegible] तैयार कराने के पश्चात उक्त रोकड वहीं से वर्तमान रोकड पंजी का मिलान कराकर नियमित संधारण सुनिश्चित करावें । यदि [illegible] लापरवाही एवं उदासीनता से इस कार्य में प्रगति नहीं होती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी । अंचल अधिकारी इसपर [illegible] ध्यान देंगे ।

वर्तमान नाजिर के पास मौजूद रोकड पंजी के अनुसार अवशेष राशि 758099.99 पैसा दिखाया गया है जिसका निरीक्षण की तिथि तक शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अवशेष राशि
1	विविध	
2	2029–भू राजस्व	324614=25
3	पेंशन	5174=74
4	2055 पुलिस	––
5	राज्य वृद्धावस्था पेंशन	––
6	2235 सामाजिक सुरक्षा पेंशन	141375=00
7	2245–6245 साहाय्य	––
8	बैंक से प्राप्त सूद	––
9	पारिवारिक लाभ	244850=00
10	मातृत्व लाभ	––
11	दशम वित्त आयोग	285=00
12	निर्वाचन	41800=00
		––

उपर्युक्त राशि का वर्गीकरण बैंकवार निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक डिड़खिली	3445	4474[illegible]=00
2	इलाहाबाद बैंक दुर्गावती	6492	140293=65
3	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक चेहरियां	3675	134667=00
4	पंजाब नेशनल बैंक खजुरा	2530	77539=30
5	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक दुर्गावती	797	220480=00
6	पंजाब नेशनल बैंक [illegible]पुर	4708	7618=00
7	[illegible] रोहतास ग्रामीण बैंक कर्मनाशा	4878	11456=00
8	सी.सी. बैंक दुर्गावती	2119	1750=00
9	इलाहाबाद बैंक दुर्गावती	9837	41800=00

[illegible]-	6834[illegible]
[illegible]-	—
अनिश्रव की राशि-	56138=99
[illegible]-	21555=05
कुल योग-	759099=99

इस कार्यालय में [illegible] पंजी की स्थिति उलझी हुई है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि पत्र के [illegible] [illegible] प्रसाद तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं श्री दशरथ प्रसाद तत्कालीन नाजिर को सूचना भेजकर [illegible] [illegible] [illegible] का प्रभार वर्तमान नाजिर को प्राप्त करा दिया जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके ।

(38) अनिश्रव

अनिश्रव पंजी संधारित की गयी है । इस पंजी के अनुसार कुल 56138=99 पैसा अनिश्रव में सन्निहित [illegible] वर्षवार / विषयवार / शीर्षवार वर्गीकरण नहीं किया गया है जिससे पता नहीं चलता है कि किस शीर्ष में कितनी राशि [illegible] हेतु आवश्यकता है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया वर्षवार / विषयवार / शीर्षवार सभी अनिश्रवों को [illegible] उपलब्ध है तो समायोजित करें अथवा जिला स्तर से मांग करें ताकि तदनुरूप आवंटन की मांग सरकार से की जा सके ।

(39) अधिकारी खाता पुस्तिका

इस अंचल में कुल 103 राजस्व ग्राम है जिसमें से 40 ग्रामों को चयनित किया गया है । चयनित 40 ग्रामों में 24 [illegible] अधिकारी खाता पुस्तिका तैयार कर 1863 रैयतों को वितरित की गयी है । बताया गया कि दो ग्रामों का खाता पुस्तिका तैयार [illegible] कार्रवाई की जा रही है । चार ग्राम का खाता पुस्तिका तैयार है जो कर्मचारी के पास है ।

समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि दाखिल खारिज,अतिक्रमण,बेदखली,सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती एवं [illegible] राजस्व शाखा के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है । इनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मुख्यालय में आवास रखने के संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में निदेश दिया गया [illegible] सभी कर्मचारी मुख्यालय में ही अपना आवास रखकर सरकारी कार्यों का सम्पादन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

निदेश दिया गया कि इस अंचल में हल्का कचहरी कहां कहां है. इस संबंध में जानकारी दी जाए कि किस हल्का में हल्का कचहरी का भवन है लेकिन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है. किस हल्का में हल्का कचहरी के लिए जमीन है लेकिन भवन नहीं है. किस हल्का [illegible] भवन एवं जमीन दोनों नहीं है इसका विवरण उपलब्ध कराया जाय । इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि किस किस ग्राम [illegible] नक्शा एवं खतियान उपलब्ध नहीं है इस बारे में भी सूचना दी जाय ।

(40) <u>जन शिकायत पंजी</u>

जन शिकायत पंजी संधारित की गयी है । जिला स्तर से भेजे गये पत्रों के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि प्राप्त सभी पत्रों को निष्पादित कर दिया गया है । निदेश दिया गया कि निष्पादन की सूचना जिला मुख्यालय को भी दी जाय तथा पदाधिकारी वार अलग अलग जनशिकायत पंजी का संधारण किया जाय । इसके साथ ही निष्पादन की सूचना संबंधित आवेदक को भी देना है । यह स्पष्ट किया गया कि जन शिकायत से संबंधित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय एवं कार्यों में पारदर्शिता लाई जाय ।

(41) <u>साफ सफाई</u>

कार्यालय के भवन की स्थिति ठीक है लेकिन कार्यालय में संधारित कागजातों को व्यवस्थित ढ़ंग से नहीं रखा गया है । अंचल कार्यालय के बहुत सारे कागजात एवं अभिलेख स्टोर में यत्रा तत्रा रखे हुए पाये गये । ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि स्टोर में रखे गये सभी अभिलेखों की विषयवार एवं वर्षवार सूची बनाकर लालरंग के कपड़े में बांधकर रखा जाय ।

(43) <u>मंतव्य</u>

कुल मिलाकर अंचल कार्यालय दुर्गावती का कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । पंजियां/अभिलेखों का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है । सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को आपसी समन्वय स्थापित कर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है तो कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आने की सम्भावना है । व्यवसायिक लगान,सैरात की बन्दोबस्ती/वसूली/भौतिक सत्यापन,दाखिल खारिज,खाता पुस्तिका का वितरण हल्कों में शिविर लगाकर किये जाने की आवश्यकता है । नियमित रूप से कार्यालय की साफ सफाई एवं कार्य में पारदर्शिता लाये जाने की आवश्यकता है ।

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– XX- 04/04–1252/ रा०	दिनांक– 18.06.2004

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सदस्य राजस्व पर्षद बिहार पटना की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमण्डल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां /को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी दुर्गावती को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी भभुआ एवं अन्य सभी अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)